भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

28AE 956017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सत्य प्रतिलिपि

16/7/2

F18364

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 954018

सत्य प्रतिलिपि

16/07/21

F 18344

-21-22-

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : एकता सेवा संस्थान
2. संस्था का पता : ग्रा0–कटरा, पो0–गोशाईगंज, जिला–अयोध्या (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।
4. संस्था की सदस्यता अथवा सदस्यो के वर्ग :–

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को नि:स्वार्थ भाव से एक बार मे 5001–रु0 नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप मे प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 101/–रु0 सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति :

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
5. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
6. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
7. लगातार तीन बैठको मे अनुपस्थिति होने पर।

6. संस्था के अंग (1) साधारण सभा (2) प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा :–

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष मे एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यो के बहुमत द्वारा तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

गठन : संस्था मे सभी प्रकार के सदस्यो को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष मे एक बार विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यो को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यो मे से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी परन्तु स्थगित गणपूर्ति के अभाव मे एक बैठक स्थगित होने पर पुन: बुलाई गयी दूसरी बैठक मे गणपूर्ति का प्रतिबन्ध न होगा।

प्रबन्धक
एकता सेवा संस्थान
गोशाईगंज, अयोध्या

शेष .... पृष्ठ (२) पर

प्रबन्धकारिणी समिति :-

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा। जिसमें प्रबन्धक एक, अध्यक्ष एक, कोषाध्यक्ष एक मंत्री एक, उपमंत्री एक तथा 02 सदस्य सहित कुल संख्या 07 होगी। सदस्यों की संख्या कभी भी आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आहूत की जा सकती है।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 03 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत कोरम होगा एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः बुलाई गई बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा शेष अवधि के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :-

1. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास/तैयार करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थान अन्य आदि से दान, ऋण एवं सहायता आदि प्राप्त करना उसे संस्था के विकास में लगाना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा। 5 साल बाद पुनः चुनाव होगा जब तक नई कमेटी का चुनाव न हो जाये पुरानी कमेटी कार्य करती रहेगी।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-**

प्रबन्धक :

1. संस्था का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होगा।
2. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
3. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।
4. आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना।
5. समस्त अन्य संस्थाओं/एजेंसियों/विभाग/मंत्रालय से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
6. संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
7. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
8. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।

(Handwritten signatures: Y Singh; एकता सिंह; Malle Singh; hateer; अवधेश सिंह; उमा ... सिंह)

प्रबन्धक
एकता सेवा संस्थान
कटरा गोसाईगंज, अयोध्या

शेष .... पृष्ठ (३) पर

9. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।

10. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।

11. संस्था के हित में प्रचार साधनों के माध्यम से उपयुक्त वातावरण तैयार करना।

12. संस्था के विकास हेतु राष्ट्रीयकृत मान्यता प्राप्त बैंको से ऋण लेना।

अध्यक्ष : 1. बैठक की अध्यक्षता करना।

2. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।

3. बैठक के लिए दिनांको का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना।

कोषाध्यक्ष : 1. संस्था का कार्यालयी प्रबन्ध देखना।

2. वित्तीय मामलों में अध्यक्ष के साथ मिलकर निर्णय लेना।

3. चल एवं अचल सम्पत्ति की देख रेख व सुरक्षा करना।

4. संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।

मंत्री : 1. प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सम्पन्न करना।

2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।

3. संस्था के बैठकों की सूचना प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों को देना।

4. जन समुदाय में संस्थागत गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना।

5. अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के विकास हेतु हों।

6. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

उपमंत्री : मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करना।

10. <u>संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-</u>

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11. <u>संस्था का कोष</u> : संस्था का कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

12. <u>संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :-</u>

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष किसी सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13. <u>संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व</u>

संस्था द्वारा होने वाली पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

प्रबन्धक
एकता सेवा संस्थान
गोसाईगंज, अयोध्या

शेष .... पृष्ठ (4) पर

संस्था के ऋण अदायगी का दायित्व :-

संस्था द्वारा जिस मद से ऋण लिया जायेगा उसे प्राप्त आय से जमा करना। संस्था का पूर्ण दायित्व होगा तथा ऋण की सुरक्षा व्यवस्था एवं अदायगी का दायित्व समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों की होगी जब तक ऋण की अदायगी नहीं हो जाती तब तक उसका उत्तरदायित्व सभी पर होगा चाहे वह समिति के प्राथमिक सदस्यता से पृथक क्यों न हो गये हो।

15. संस्था के अभिलेख : (1) सदस्यता रजिस्टर (2) कार्यवाही रजिस्टर
(3) स्टाक रजिस्टर (4) लेजर कैश बुक आदि
(5) उपस्थिति रजिस्टर (6) गतिविधि रजिस्टर
(7) आगन्तुक पंजिका -

16. संस्था के विघटन एव विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

दिनांक ....

एकता सिंह
Malti Singh

प्रबन्धक
एकता सेवा संस्थान
... सोहावल, अयोध्या

16/07/21

एकता सेवा संस्थान

ग्रा0–कटरा, पो0–गोशाईगंज, जिला–अयोध्या (उ0प्र0)

प्रबन्धसमिति की सूची

वर्ष 2021–2022

क्र.सं	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री अमरनाथ सिंह	श्री राम लखन सिंह	ग्रा0 तेजापुर, पो0 अकबरीपुर, जिला अयोध्या उ0प्र0	प्रबन्धक	व्यापार
2.	श्री गौरव सिंह	श्री संगम सिंह	ए–77, से.–2, रोहिणी से –5 उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली	अध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्रीमती एकता सिंह	श्री गौरव सिंह	ए–77, से.–2, रोहिणी से –5 उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली	मंत्री	समाजसेवा
4.	श्रीमती मालती सिंह	श्री संगम सिंह	ए–77, से –2, रोहिणी से –5, उ0प0 दिल्ली, दिल्ली	उपमंत्री	समाजसेवा
5.	श्रीमती ऊषा सिंह	श्री अमरनाथ सिंह	ग्रा0 तेजापुर, पो0 अकबरीपुर, जिला अयोध्या उ0प्र0	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	श्री प्रतीक क्वात्र	श्री सुनील क्वात्र	10/ए5/14, प्रतापनगर, मलकागंज, स0ओ0 नॉर्थ दिल्ली	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री राम भवन वर्मा	श्री झागरू प्रसाद वर्मा	जलालपुर, परशुरामपुर, रानीवत, अम्बेडकरनगर	सदस्य	समाजसेवा

16/07/21

एकता सिंह

Malti Singh

उषा सिंह

रामभवनवर्मा

अशोक कुमार सिंह

अमरनाथ सिंह

प्रबन्धक
एकता सेवा संस्थान
कटरा गोशाईगंज, अयोध्या